

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान लता सिंह बनाम जमना बाई आदि
 प्रकरण संख्या 79 / 2012 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
२४/५	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहू अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 35/6/24 को पेश हो <u>Kinnari</u></p>	
२५/६	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पेश नहीं करके पर बंद किया जाता है। जवाब स्टेट बंद किया जाता है। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अध्यापी विवेक्षा दिनांक 24/09/12 मूलवाद के निष्पत्तिक अध्यापी की जाती है। पत्रावली विणीति होकर मूलवाद के साथ सेलम्व हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
 श्री करणपुर